कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर

पत्रांकः– दिनांकः–

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले निर्धन, निराश्रित एवं जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य कन्या/तलाक शुदा/परित्याकता/विधवा महिलाओं की शादी करने हेतु **"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना "** प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत विवाह करने वाली लड़कियों/महिलाओं को उनके सुखमय जीवन के लिये 20.000/– की नगद धनराशि व घरेलू उपयोग हेतु 10.000/– की धनराशि तक का सामान दिया जायेगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिये रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ कर दिया गया है।

अतः नगर पालिका सीमान्तर्गत रहने वाले उक्त श्रेणी के इच्छुक निर्धन, निराश्रित तथा जरूरतमंद अभिभावकों से अनुरोध है कि वे इस योजना में सम्मिलित होने के लिये नगर पालिका कार्यालय से फार्म प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन दिनांक–29.05.2018 तक अवश्य करा लें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

पत्रांकः– 4 29/नौ-प्रकाश **दिनांकः–** 11 मई, 2018

प्रतिलिपिः– सम्पादक/सम्वाददाता, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना एक बार कम से कम स्थान में सरकारी दरों पर प्रकाशित करते हुए बिल के साथ समाचार पत्र की 5 प्रतियाँ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

11/05/18

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्राप्त किया
11/05/18

Kna sir